


दिल्ली में लागू की गई पंचोत्तरण अधिनियम सं. 1860 (पंजाब संशोधन) अधिनियम
1957 के अधीन पंजीयन का प्रमाण - अक्ष ।

संख्या: 5564 तन् 1972 - 1973
प्रमाणित करता है कि सुरज मल ^{१९} गंगा रिडाल ^{१९} प्रोफेसर ^२ लाहौर ^२

जो दिल्ली राज राज में लागू संघ पंचोत्तरण अधिनियम सं. 1860 (पंजाब संशोधन)
अधिनियम 1957 के अधीन आर जे तारोत्र में पंचोत्तरण प्र. लेखा गया है ।

यह भी दस्तावेज के अधीन आज दिनांक 13 जनवरी 1972

दिल्ली (पत्र) पर जारी किया गया ।
50 रुपये का मूल्य प्राप्त किया गया ।



Handwritten signature
संस्था पंजीयक दिल्ली ।

Handwritten signature
PRINCIPAL
Maharani Kishori Devi Girl's School
BIKANER


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000



राजस्थान RAJASTHAN
13 MAR 2006
334001
(राजस्थान)

452869



LEASE DEED

This indenture is made on this day of 3rd April 06, between the President of Kishan Chhatravas Trust, National Highway-11, Near Radio Station, Bikaner, Rajasthan, hereinafter called the LESSOR and the party of the first part and Surajmal Memorial Education Society; registered under the Societies Registration Act XXI of 1860 and having its registered office at C-4, Janakpuri, New Delhi-110 058, hereinafter called the LESSEE and the party of the other part.

.....2.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1000 1982.6 - 31.3.86

शुद्धता के अतिरिक्त हेल्थ के लिए लोकतांत्रिक


नामों में जिनमें से C. Y. जलवायु प्रती, लॉर्ड रिडिंग


31/3/86

WHEREAS, the first party is the absolute owner of 39 bighas of land situated at NH-11, Jaipur Road, Bikaner and is in peaceful possession and control of the said piece of land which has been purchased by it from 1. Shyam Sundar S/o Late Sh. Jagannath, 2. Hari Kishan S/o Late Sh. Jagannath, 3. Hanuman Nath S/o Late Jagannath vide Sale Deed dated 28.12.04 registered at Number registered at Book No. 1, /883/74 dated 28.12.04 & 1. Shiv Ranat Agarwal S/o Late Moolchand Agarwal, 2. Manohar Lal Agarwal S/o Late Moolchand Agarwal, 3. Madhu Sudan Agarwal S/o Late Moolchand Agarwal vide Sale Deed dated 02.05.03 registered at No. 2218 dated 02.04.2003.

WHEREAS, the Lessee has approached the Lessor for grant of 70 years' lease of a piece of land measuring 15 bighas and the Lessor, on the basis of the statement and representation made by the Lessee has agreed to give it on lease for 70 years the plot of land measuring 15 bighas, hereinafter, described in the manner hereinafter, appearing. The first party is duly empowered to lease out the 15 Bighas of land vide Resolution dated 13 May 05 passed by the Governing Body of Kishan Chhatravas Trust, hereinafter referred to as the Lessor.

Now, this Indenture witness that on the basis of the Resolution passed by the Governing Body of Kishan Chhatravas Trust, the Lessor does hereby demises unto the Lessee the plot of land containing measurement of area of 15 bighas situated at National Highway 11, Near Radio Station, Bikaner, Rajasthan Which land is more particularly described hereinunder written and which describes thereof for better clearness described as under -



Signature
23

आज दिनांक 3 माह April सन् 2006 को 16:06 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री GIRDHARI LAL BHOBIA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BINJHA RAM
उम्र 75 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय FARMER
निवासी KHATURIA COLONY BIKANER
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, BIKANER
(2006004857)
(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))

रसीद नं०-2006005199 दिनांक 03/04/2006
पंजीयन शुल्क रू० 25000/-
प्रतिलिपि शुल्क रू० 200/-
पुष्ठांकन शुल्क रू० 0/-
अन्य शुल्क रू० 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू० 613250/-
कुल योग रू० 638450/-

[Handwritten Signature]

(2006004857) उप पंजीयक, BIKANER
(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))



3.

North : Sarhami Moja Udasar (Army Area)
South : Land of Kishan Chhatravas Trust
East : Radio Station
West : Land of Kishan Chhatravas Trust



That the Lessor has demised the said land unto the Lessee together with all the rights, dissents and upper tenants whatsoever to the said land belonging to the Lessor, to the Lessee for a period of 70 years from this date 3rd April, 06.

This Lease Deed is made subject always to the reservation, exceptions, covenants and conditions, hereinafter contained, that is to say as follows:-

1. That the Lessee shall construct and set up a School for girls as per the minimum requirement of CBSE (Central Board of Secondary Education), Delhi on the land and also set up all the infrastructure for starting the senior secondary school for girls.
2. That the expenditure on the construction of the entire building, along with the hostel, staff quarters shall be incurred by the Lessee.
3. That the Lessee shall within a period of 2 years from this date 3rd April 06, after obtaining sanction for the change of land use, building plan from concerned authorities at its own expense erect upon the said land a complete building for the school with the requisite proper walls, sewer, drains and other conveniences in accordance with the sanctioned building plan and to the satisfaction of the concerned municipal or other authority.

....4.

Signature

Signature

हस्ताक्षर

फोटो

अ

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-GIRDHARI LAL BHOBIA/BINJHA RAM
Age:75, Caste-JAT
Ocu.-FARMER
R/O-KHATURIA COLONY BIKANER

[Handwritten Signature]



(And Claimant)
1-SHIV PAL SINGH/TEJA RAM JI
Age:65, Caste-JAT
Ocu.-RETD.
R/O-D-5 SATYAWATI NAGAR DELHI 52

[Handwritten Signature]



ने लेख्यपत्र LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री RADHA KRISHAN JI
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHET RAM JI उम्र 78 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय RETD.
निवासी INCOME TAX COLONY DURGA PURA JAIPUR


[Handwritten Signature]

2. श्री/श्रीमती/सुश्री VIRENDRA CHOUDHARY
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DR. SAHDEV JI उम्र 39 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी MARWAR MOTORS BIKANER. ने की है जिनके

[Handwritten Signature]

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2006004857) उप पंजीयक, BIKANER
(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))



4. That the Lessee shall not sell, transfer, mortgage, assign or otherwise part with the possession of the portion of the land or the whole of the said land or any building thereon except with the previous consent in writing of the Lessor provided that in the event of the consent being given by the Lessor, he may impose such terms and conditions as he thinks fit in his absolute discretion.
5. That the Lessee shall, from time to time and at all times, pay and discharge all rates, taxes, charges and assessment of every description which are now or may at any time, hereafter during the continuance of this lease be assessed, charged, imposed on the said land or on any building to be erected thereupon.
6. That the Lessee shall in all respects comply with the implementation of the building laws thereon and other byelaws of the appropriate municipal or any other authority for the time in enforce.

That the Lessee shall not, without sanction or permission in writing of the appropriate municipal or any other authority erect any building or make any alterations to the building on the land demised under the lease.


8. That the Lessee shall not carry on or permit to be carried on, on the said land or in any building thereon any trade or business, whatsoever or use the same or permit the same to be used for any purpose other than that for educational purpose. The Lessee shall not do any act or anything, whatsoever, which in the opinion of the Lessor may be a nuisance, annoyance and disturbance to the Lessor or the person living in the neighborhood.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

9. That the Lessee shall at all reasonable times grant access to the said land to the Lessor for being satisfied that the conditions herein contained have been and are being complied with.
10. That the Lessee shall, on the completion of the lease period, peacefully hand over the said plot and the buildings thereon to the Lessor.
11. That in the event of any question, dispute or differences arising between the Lessor and the Lessee the same shall be referred to the sole arbitration of Sh. Ram Niwas Mirdha S/o Sh. Baldev Ram Ji Mirdha, R/o D-39, Anand Niketan, New Delhi or any person appointed by him or, if, Sh. Ram Niwas Mirdha, the sole arbitrator is not available due to any reason whatsoever, and has not appointed any person as sole arbitrator, then, the person nominated by the managing committee of the School. The award of the Arbitrator shall be final and binding on both the parties.
12. All the notices orders, directions, consents, approvals to be given under this lease shall be in writing and shall be signed by the President of Kishan Chhatravas Trust, the Lessor and shall be considered as duly served upon the Lessee if the same have been delivered or sent by post to the registered office of the Lessee.
13. The expression, the Lessor hereinbefore used, shall, where the context so describes shall include its near successor and assigns and the expression the Lessee, herein used shall mean Surajmal Memorial Education Society.





आज दिनांक 03/04/2006 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 947
में पृष्ठ संख्या 31 क्रम संख्या 2006003256 पर
मंजूर किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1738
के पृष्ठ संख्या 322 से 333 पर
रखा किया गया।




(2006004857) उप वंजीयक BIKANER.
(LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))



नकशा चढके रेडियो स्थान नै पस्त जगपुर रोड स्थान
 छात्रावास (मिस्राम घायावास इस्ट) लीकावेर

मिस्राम/लीकावेर कुट्टा-300



लीकावेर
 छात्रावास
 इस्ट
 (B.L.D.)

← लीकावेर छात्रावास पुर →

2. पञ्चायती विधिविहित नवशो पदान से किसी भी रूप में स्थितित नहीं होगा और न उन विभाजन द्वारा स्थापित हुए या अन्वय विवक्षित नवशो के परिवान में कोई परिवर्तन करेगा।
3. पञ्चायती तीन वर्ष की अवधि (और इस तरह से निर्दिष्ट समय अवधि की आवश्यकता होगी) के भीतर भवन के नवशो पदान के लिए अधिक प्राप्त करने के लक्ष्य अपने स्वयं के खर्च पर विवाह भूखण्ड पर किसी अन्वय के लिए भव के स्वीकृत के अनुसार एक विवाह भवन बनाए जाये और उन्हे सर्वथा स्वयं से तथा कर्तव्यपूर्ण रूप से पूरा करेगा तथा सुघाट स्थल से एक मूठ पूर्ण होने पर प्रमाण-पत्रिकाएँ प्राप्त करेगा। परन्तु पञ्चायती ऐसे उपभूखण्डों और सर्वशो के कर्तव्यों के अतिरिक्त विनियम सुघाट न्यास द्वारा अनुमोदन कर सिक सब उक्त भूखण्ड पर एक से अधिक भवन नहीं करी करेगा।

4. पञ्चायती अपने विवाह भूखण्ड या उसके किसी भाग को न तो बेचेगा, न हस्तांतरित करेगा न अविहातस्थित करेगा न किसी अन्य प्रकार से उसे; परा से कन्व-खोला विवाह पञ्चायती की पूर्ण विधि सम्मति के। परन्तु शर्त यह है कि ऐसी सम्मति, इस पत्र के प्राथम से नियमानुसार वर्ष तक नहीं दी जायेगी और तक पञ्चायती की राय में ऐसी सम्मति प्रदान करने के लिए विशेष परिस्थितिक विस्तार न हो परन्तु यह यह है कि सम्मति में शर्त की तथा नें खण्डों ऐसे विवक्षित और शक्तिव्य तथा सफल है शिवां वह अहित सबको।

5. जब कभी पञ्चायती का स्वतः विवक्षित भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तांतरित किया जाय हस्तांतरितों इस पत्र में सम्मिलित समस्त प्रसविकाओं, शिवायों से बंधू होगा और उनके लिए सब तरह से देखतायी होगा।

6. जब कभी पञ्चायती का स्वतः विवाह भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तांतरित किया जाये, हस्तांतर और हस्तांतरित स्थापित के तीन महीने के भीतर ऐसे हस्तांतरण का बर्तित पञ्चायती के लिखित में देवे।

पञ्चायती की मृत्यु की दशा में वह कर्तव्य अपने कृतक के साथ यह शर्तों द्वारा है प्रकरण के तीन महीने के भीतर पञ्चायती को ऐसे प्रकरण का बर्तित देना। यदि पञ्चायती और उसकी मृत्यु की दशा में उत्तर उत्तरपिकारी परकृत कारण के बिना ऐंश बर्तित देवे नें मूठ का अपेक्षा करता है तो वह ऐसी मूठ या अपेक्षा के लिए न, विमानानुसार देने का भागी होवे।

हस्तांतरित का वे शक्तिव्य उत्तर का प्रकरण हुआ है जैसी भी शक्ति हो हस्तांतरण या प्रकरण के ज्ञाती स्थापितों की प्रमाणित प्रसविकायां पञ्चायती को देवे।

7. पञ्चायती समर्थ-समय पर और सब समय ऐसे समस्त स्थानों पर, प्रमाण-पत्रिका और प्रत्येक प्रकार के विधिवित शर्तों का भुगतान और सुघाट करेगा जो पञ्चायती विवक्षित भूखण्ड पर या उस पर बड़े किए गए किसी मणों पर या उसके सम्बन्धित भू-खण्डों का अन्वय पर विधिवित किये गए हैं, प्रभू-किर्तन गए हैं या लगाए गए हैं अथवा एकरूपता किन्हीं समय इस पत्र के प्राक् करने के दौरान विधिवित किये जावें, प्रभू-किर्तन चर्चे या कथने जावें।

8. पञ्चायती पञ्चायती विवक्षित भूखण्ड के सम्बन्ध में दिए गए कर निर्धारण की समस्त बन्धन शर्तों तथा अन्य भुगतान जैसी प्रकार वस्तु की योग्य होगी विवक्षित प्रकार भू-यन्त्रण की बन्धन शर्तियां।

9. पञ्चायती सुघाट न्यास शीघ्रता की विवक्षित शर्तिका शिवा विवाह भूखण्ड पर कोई भवन बना नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई भवन बना नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्तन नहीं करेगा।

10. पञ्चायती पञ्चायती की लिखित शर्तिका शिवा पञ्चायती विवक्षित भूखण्ड या उस पर बड़े किसी भवन में किसी भी प्रकार का ऐसा व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा या कन्व की अनुमति नहीं देगा या किसी व्यापार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग के लिए उत्तर उत्तरपिकारी करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें किसी प्रकार का ऐंश करव या ऐंश बना नहीं करेगा या करने नहीं देगा जो पञ्चायती की राय में तथा पञ्चायती में रखे कन्व लोगों के लिए न्यास, संतुष्टन या विवक्षित से।

परन्तु यदि पञ्चायती उक्त पञ्चायती विवाह भूखण्ड या उस पर बड़े भवन का प्रयोग किसी अन्वय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग के लिए करने का इच्छुक है तो पञ्चायती ऐसे प्रयोगों और शर्तिका पर निम्नमें अतिरिक्त शर्तिका और अतिरिक्त शिवा के अनुसार सम्मिलित है जो पञ्चायती अपने पूर्ण विवेक से विधिवित कन्व प्रयोग के ऐसे परिवर्तन के लिए अनुमति दे सकेगा।

11. पञ्चायती इस पत्र की समाप्त दिनांक 5/10/2106 ई. पर उक्त विवाह भूखण्ड तथा उस पर बड़े भवनों को पञ्चायती पञ्चायती को सम्मिलित कर देगा।

यदि प्रसविका या शर्तिका विधिवित न्यास कर के शर्तों में भुगतान करने वाली शर्तिका शिवा शिवा या शर्तिका अथवा उत्तरपिकारी अथवा किसी समय बन्धन उस चर्चेला और उन दिनों में से किसी दिन कर बह देव हो से एक बर्तित ग्राह परशात जब विवक्षित नुवशाये



सहकार
श्रीमती शारदा

(Signature)
सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
भवन विकास ब्याक, श्रीमदनगर
8/10/2106

लेख यदि उसके मंत्र की गई हो या न की गई हो या यदि यह पता चले कि कोई तथ्य विचार या कोई भिन्ना कथन, उक्त कथन या उक्त कथन यह पता प्राप्त किया गया है अथवा यदि यह पता जिसका निर्णय अधिकार होता ही तब में उन प्रसिदाओं या अधिकारों को अपने अधिकार में और जिनका उक्त और से अनुसंधान और पालन किया जाय हो में से किसी का मंत्र पत्राचार द्वारा अथवा उनके मंत्र या उनके अधिकार अधिकार प्रोक्त करने कले उचित द्वारा दिया जायेगा, तो और किसी भी मामले में आदेश द्वारा उक्त निवास निवास भूखण्ड और उक्त पर उक्त भूखण्ड में पुनः प्रवेश करने के किसी पूर्णधिकार का अधिकार होते हुए भी उक्त निवास भूखण्ड और उक्त पर उक्त भूखण्ड और उक्त भूखण्ड में पुनः प्रवेश करने और उक्त पर उक्त भूखण्ड कला पत्राचार के लिए वेच लेना और ऐसा होने पर यह पत्र और इस विवेक में अतिरिक्त कोई का निर्धारित होकर अन्वय हो जानेने और पत्राचार किसी भी स्वीकृति का या उक्त द्वारा विवे जये किसी प्रसिदाओं को प्राप्त लेने का अधिकार नहीं होगा।

पत्राचार इनमें अधिकार किसी बात के विपरीत होने हुए भी पत्राचार पुनः प्रवेश के अपने अधिकार जैसा कि पूर्व में कथन किया है, पर प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष करते किता, और अपने पूर्ण अधिकार से ऐसी राशि की प्रकृति पर और निबन्धों पर जो उनके द्वारा निर्धारित किये जायें, मांगों पर अन्वय हो जाने से अन्वय अन्वया कार्य जारी न होनेके उनको दोषनिर्दिष्ट कर सकेंगे और निबन्धों पर प्रतिष्ठा की दर से लाने जये धारा 131, विवेक 132 कर की उक्त राशि या अधिकार को कथना लेनी जैसा ऊपर कथन गया है, का भूखण्ड भी रहने कर सकेंगे।

4. पत्राचार या पुनः प्रवेश तब तक प्रभवशाली नहीं होगा जब तक पत्राचार :
 - (क) उस मांग विशेष का उल्लेख करते हुए विशेष उल्लेख में शिफारिश है तथा
 - (ख) यदि मांग प्रतिकार के योग्य है तो उस मांग का प्रतिकार करने की पत्राचारी से अपेक्षा करते हुए-
 न एक लिखित नोटिस पत्राचारी को न पहुंचा दिया हो और पत्राचारी ने ऐसे नोटिस समक जिसका उल्लेख नोटिस में किया जाय के अंतर मंत्र का प्रतिकार करने के उक्त नोटिस के योग्य है एक न करनी हो और जहाँ या पुनः प्रवेश की दशा में पत्राचार अपने अधिकार से ऐसे निबन्धों और प्रतिष्ठाओं पर जैसा की उक्त उल्लेख जहाँ के विवेक 132 शायन कर सकता है।
5. उक्त मांग की गई बात-
- (क) उक्त प्रसिदाओं या समिन्धन तथा विवेक भूखण्ड के हस्तक्षेप संबंधी प्रसिदाओं और अधिकारों विवेक 132 में उल्लेख किया गया है, के मंत्र से किता अथवा
- (ख) यदि यह पत्र किसी तथ्य को विचार, निवास उक्त, उक्त कथन या उक्त कथन प्राप्त किया गया है तो पत्राचार पुनः प्रवेश पर लागू नहीं होंगे।
6. उक्त पर निवास निवास अधिकार आदेश द्वारा अतिरिक्त उक्त कथन है प्रत्येक पत्राचार के पत्राचार संबंधित प्रिया या उल्लेख किन्तु यदि पहले विवेक अथवा कर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होयें।
7. पत्राचार उस पत्र के अन्वय प्रथम होने वाली समस्त शक्तियों का उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने लिए उक्त सुधार न्याय या किसी अन्य अधिकार को प्रयोग कर सकते हैं।
8. इस पत्र के अन्वय विवेक जहाँ जहाँ उक्त नोटिस, आदेश, निर्देश, उल्लेखों या अनुसंधान लिखित में होंगे और ऐसे अधिकारों द्वारा हस्तक्षेपित होंगे जो पत्राचार द्वारा अधिकार कर दिया जाय और यदि उक्त निवास भूखण्ड पर उक्त अन्वय किन्हीं कथन या निर्माण स्थल पर विचार दिया जायेगा या पत्राचारी या उक्त अन्य व्यक्तियों के तालमेल के विकास स्थान, कार्यलय अथवा व्यापार स्थान या उक्त निवास के स्थान उक्त अतिरिक्त जहाँ का निवास स्थान या जहाँ दिया जायेगा या उक्त द्वारा मंत्र मंत्र दिया जायेगा जो उक्त पत्राचारी या निवास भूखण्ड पर किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को या वाणिज्य पहुंच हुआ जाना, चलेगा।
9. इस विवेक में इसके पूर्व प्रयुक्त प्रसिदाओं निबन्धों पत्राचारी और पत्राचारी में उक्त संदर्भ से ऐसा मान्य हो, पत्राचारी की दशा में उक्त उक्त अधिकारों और अधिकारों किन्हीं और पत्राचारी की दशा में उक्त दायता, निबन्धक, प्रत्येक का वेच प्रतिष्ठाओं और वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन में उक्त द्वारा निर्माण पत्राचार का दिव्य अधिकारों अथवा अन्वया तत्काल निर्दिष्ट अथवा अतिरिक्त होंगे।
10. यह पत्राचार न्याय न्याय उक्त, 1895 (अक्टू 15, सन् 1895) के अन्वय प्रयुक्त किया जाया है जैसा-
 - विवेक संख्या में ऊपर प्रथमः विवेक नए दिव्य और वर्ष को पत्राचार के लिए और उसकी वेच से तथा उक्त आदेश और निर्देश से अधिक न्याय विवेक न्याय विवेक के इस पर अपने हस्तक्षेप प्रिय है और पत्राचारी श्री श्रीमती सुधी सुरजमता मेमोरियल हायस्कूल सोसायटी के उक्त और उक्त और से उक्त सुधार के इस पर हस्तक्षेप किये हैं।

कलाक- श्री सुरजमता

(Signature)

सक्षिप/प्रतिष्ठा उक्त कथन
 वचन विचार न्याय, सोसायटी

पत्राचार- 13/11/2023

Photo Copy Attestes
 9/11/2023
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)

आज दिनांक 22 माह February सन् 2007 को 13:03 बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री GANESHARAM (ATT.HOLD) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री JORARAM
 उम्र 42 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय PVT.
 निवासी MARWAR MOTOR, BIKANER
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

श्री गणेशराम

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता  हस्ताक्षर एवं पंजीयक, BIKANER
 (2007002594)
 (LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))

रसीद नं० 2007002594 दिनांक 22/02/2007
 पंजीयन शुल्क ₹०-5300/-
 प्रतिलिपि शुल्क ₹०-200/-
 पृष्ठांकन शुल्क ₹० 0/-
 अन्य शुल्क ₹० 0/-
 कमी स्टाम्प शुल्क ₹० 33410/-
 कुल योग ₹० 38910/-


 (2007002594) एवं पंजीयक, BIKANER
 (LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))

हस्ताक्षर फोटो अंगुठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
 1-GANESHARAM (ATT.HOLD)/JORARAM
 Age:42, Caste-JAT
 Occu-PVT.
 R/O-MARWAR MOTOR, BIKANER

श्री गणेशराम



ने लेख्यपत्र LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS)
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।


उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
 1. श्री/श्रीमती/सुश्री BHANWAR DEEN
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHAI RUBAKSH उम्र 35 वर्ष
 जाति MEER व्यवसाय PVT.
 निवासी UDASAR, BIKANER ने की है जिनके

श्री भनवर दीन



समस्त हस्ताक्षर एवं अंगुठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।


 (2007002594) एवं पंजीयक, BIKANER
 (LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))


 08/02/2007



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

₹.1000


Rs.1000

राजस्थान RAJASTHAN
किला कावेरि
१
१५००९

898157

संख्या नमबर विकास न्याय, बीकानेर
बीकानेर
राजस्थान
दिनांक १५/११/१२
प्राप्त की/दिनांक १५/११/१२
क्या/करी की १५/११/१२
सचिव/प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्याय, बीकानेर

Final Copy Attested
4432
CENTRAL NOTARY
BIKANER - RAJ.
181.2
05/11/12



1000/10645 9-1-87
 श्री राजाजी जी अग्रवाल कल्याण सोसायटी
 श्री राजाजी जी अग्रवाल
 श्री राजाजी जी अग्रवाल
 श्री राजाजी जी अग्रवाल

आज दिनांक 22/02/2007 को
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1001
 में पृष्ठ संख्या 139 क्रम संख्या 2007001739 पर
 पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1956
 के पृष्ठ संख्या 310 से 318 पर
 चरफा किया गया।

(2007002594) उप पंजीबद्ध, BIKANER
 (LEASE DEED (MORE THAN EQUAL TO 20 YEARS))

श्री राजाजी जी अग्रवाल
 BIKANER, INDIA
 09 03/2007